



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आय-कर)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 93(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 76(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ सं. 1 की पंक्ति 9 में “15 वां” के स्थान पर “पहला” पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 10/2019/फा. सं. 370142/22/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर निति और विधान)